न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

1. अपील संख्या :–235/2014 एल.आर.एक्ट
शीला उर्फ गुरमीत कौर पत्नी गुरदीपसिंह जाति रायसिख साकिन 14 बी.बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रायसिख साकिन सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. समुन्दर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रायसिख साकिन सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

रेस्पोन्डेंट्स

2. अपील संख्या :–234/2014 एल.आर.एक्ट
शीला उर्फ गुरमीत कौर पत्नी गुरदीपसिंह जाति रायसिख साकिन 14 बी.बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रायसिख साकिन सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. समुन्दर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रायसिख साकिन सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री महावीर शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुरेश मोहता, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1–2
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 7–8–18

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 47/2008 एवं अपील सं0 46/2008 निर्णय दिनांक 29.9.2011 जिसके द्वारा वसीयत के आधार पर स्वीकृत इन्तकाल सं0 339 दिनांक 31.8.2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण में मृतक सरदारासिंह के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधिवत नोटिस जारी कर वसीयत के सत्यता की जांच कर पुनः नये सिरे से विधिवत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया है, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । उपर्युक्त दोनों अपीलों से सम्बन्धित विवादित भूमि,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलों के पक्षकार समान है एवम् अपील की विषय वस्तु व तथ्य समान होने से इन्हें एक ही निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है ।

2. उक्त दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवम् रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पिता श्री सरदारासिंह पुत्र लधासिंह जाति रायसिख साकिन सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम चक 15 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 35 के किला नं0 24–25, मु0नं0 42 के 3.163 हैक्टेयर, मु0नं0 44 के 3.163 हैक्टेयर, कुल 6.756 हैक्टेयर अर्थात 26 बीघा 14 बिस्वा रकबा बतौर नॉन क्लेमेंट आवंटित हुआ था । रेस्पोन्डेंट के पिता ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की थी । पहली पत्नी मताबकौर से रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 पैदा हुए तथा दूसरी पत्नी बचनकौर से 7 लड़के व 5 पुत्रियां पैदा हुई । सरदारासिंह ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त रकबा में से 12.10 बीघा भूमि की रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पक्ष में दिनांक 5.7.96 को बन्द वसीयत निष्पादित की गयी तथा दिनांक 22.4.97 को सरदारासिंह द्वारा पारिवारिक समझौता भी लिखा गया, जिसमें रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 चक 15 जी छोटी के मु0नं0 42 के किला नं0 1 ता 12 सालम एवं 13 का 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि का हकदार माना गया । तत्पश्चात सरदारासिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी आराजी चक 15 जी छोटी के मु0 नं0 35, 42, 44 की कुल 6.753 हैक्टेयर भूमि की एक वसीयत दिनांक 17.8.04 को बन्द वसीयत पुत्री शीला बाई उर्फ गुरमीतकौर के पक्ष में निष्पादित कर दी गयी । सरदारासिंह का दिनांक 8.8.2008 को देहान्त हो जाने पर दिनांक 26.8.08 को उक्त दोनों बन्द वसीयत कार्यालय जिला पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा खोलकर तस्दीक की गयी । अपीलार्थी शीला बाई उर्फ गुरमीतकौर द्वारा दस्तावेज वसीयत नाम के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 28.8.2008 को प्रार्थना पत्र मय वसीयत की चित्र प्रति प्रस्तुत की गयी, जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गयी एवम् पटवारी हल्का के निमित पत्र क्रमांक 9101 दिनांक 29.8.08 जारी कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेशाानुसार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.8.08 को नामान्तरकरण सं0 339 दर्ज कर प्रस्तुत करने तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 31.8.08 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया । तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का के निमित वसीयत अनुसार नामान्तरकरण पारित करने हेतु जारी किये गये पत्र दिनांक 29.8.08 एवम् स्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 339 दिनांक 31.8.08 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष दो अपीलें क्रमशः 47/2008 एवं 46/2008 प्रस्तुत की गयी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 29.9.2011 द्वारा उक्त दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल सं0 339 दिनांक 31.8.08 निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण तहसीलदार श्री गंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सरदारासिंह के सभी वारिसान को पक्षकार बना कर सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधिवत नोटिस जारी कर, वसीयत की सत्यता की जांच कर पुनः नये सिरे से विधसम्मत आदेश पारित करें । अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 29.9.2011 के विरुध्द अपीलान्ट शीलादेवी द्वारा इस न्यायालय में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पिता सरदारासिंह के नाम चक 15 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 35, मु0नं0 42 व मु0नं0 44 में कुल 6.756 हैक्टेयर भूमि बतौर नॉन क्लेमेंट अलॉट होकर खातेदारी थी । सरदारासिंह द्वारा दिनांक 17.8.2004 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्टा के हक में कर दी थी, जो बन्द लिफाफे में थी और उक्त वसीयत सरदारासिंह का दिनांक 8.8.08 को देहान्त हो जाने पर दिनांक 26.8.08 को जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा खोली जाकर तस्दीक की गयी है । अपीलान्टा ने उक्त वसीयत के आधार उपरोक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करने के लिए तहसीलदार (भू.अ.)श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.8.08 को अपीलान्टा के नाम वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा वसीयति इन्तकाल सं0 339 दिनांक 31.8.18 स्वीकृत किया गया, जो बिल्कुल सही है ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि सरदारासिंह द्वारा अन्तिम वसीयत दिनांक 17.8.04 अपीलान्टा के हक में की हुई है । इस कारण अपीलान्टा ही सरदारासिंह की एक मात्र वसीयत से उत्तराधिकारी है । रेस्पोन्डेंटान नं0 1 व 2 ने अपने हक में सरदारासिंह की वसीयत 12.10 बीघा भूमि की बाबत दिनांक 5.7.96 को करवाई हुई होने के कारण अपना अधिकार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अपील की थी, जबकि उनके हक में की गयी वसीयत वर्ष 1996 की है और अपीलान्टा के हक में की गयी अन्तिम वसीयत वर्ष 2004 की है, जिसे तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सही माना जाकर अपीलान्टा शीलाबाई के हक में इन्तकाल सं0 339 स्वीकृत किया गया है, जो विधिसंगत है एवं तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है । यह कि अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट द्वारा दिनांक 1.9.08 को वाद सं0 155/2008 उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, कानून के अनुसार पक्षकारों के अधिकार वाद में ही विनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि इन्तकाल एक फिसकल प्रकिया है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल ने यह कानूनी बिन्दु प्रतिपादित किया है कि Right will be decided in pending

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

suit इसलिए जब तक वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक अपीलान्टा के हक में किये गये इन्तकाल को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सं0 339 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है । अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आरआरडी 2010 पेज 392 एवम् आरआरडी 2016 पेज 770 अवलोकनीय बताया एवं अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश निरस्त कर इन्तकाल सं0 339 कायम रखने हेतु निवेदन किया ।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01–2 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पिता सरदारासिंह के नाम चक 15 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मु0नं0 35, मु0नं0 42 व मु0नं0 44 में कुल 6.756 हैक्टेंयर भूमि बतौर नॉन क्लेमेंट अलॉट थी सरदारासिंह ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त रकबा में से 12.10 बीघा भूमि की रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पक्ष में दिनांक 5.7.96 को बन्द वसीयत निष्पादित कर दी तथा दिनांक 22.4.97 को पारिवारिक समझौता किया गया, जिसमें रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 चक 15 जी छोटी के मु0नं0 42 के किला नं0 1 ता 12 सालम एवं 13 का 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि का हकदार माना गया एवं कब्जा रेस्पोन्डेंट सं01 व 2 का बताया है। यह कि सरदारासिंह का दिनांक 8.8.08 को देहान्त हो जाने पर रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पक्ष में की गयी वसीयत दिनांक 5–7–96 एवम् अपीलान्टा के पक्ष में की गयी वसीयत 17.8.04 दिनांक 26.8.08 को जिला पंजियक श्रीगंगानगर द्वारा एक ही दिवस में खोली जाकर तस्दीक की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत दिनांक 17.8.04 अन्तिम वसीयत है, जबकि उक्त वसीयत में पूर्व में की गयी वसीयत दिनांक 5.7.96 को निरस्त करने का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । अपीलार्थी शीला बाई उर्फ गुरमीतकौर द्वारा दस्तावेज वसीयत नाम के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 28.8.2008 को प्रार्थना पत्र मय वसीयत की चित्र प्रति प्रस्तुत की गयी, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उसी दिन प्राप्त की गयी एवम् तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के निमित पत्र क्रमांक 9101 दिनांक 29.8.08 जारी कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर पारित कराने हेतु आदेश दिया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.8.08 को नामान्तरकरण सं0 339 दर्ज कर प्रस्तुत करने तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 31.8.08 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया । प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलान्ट द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वसीयत की कोई सरसरी जांच नहीं हुई है । तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा वसीयति जांच में रेस्पोन्डेंट एवम् अन्य विधिक वारिसान को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही वारिसान को साक्ष्य का मौका दिया गया है जबकि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का के निमित पत्रांक 9101 दिनांक 29.8.08 एक पक्षीय जारी कर वसीयत अनुसार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया गया है । तहसीलदार द्वारा दिया गया आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि सरदारासिंह का देहान्त दिनांक 8.8.2008 को हुआ है और तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम 45 दिन की अवधि पूर्ण होने से पहले ही वसीयति नामान्तरकरण सं0 339 दिनांक 31.8.18 को स्वीकृत कर दिया, जिसका अधिकार केवल ग्राम पंचायत को है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा वसीयत की जांच नहीं की गयी थी, ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को जांच हेतु रिमाण्ड किया गयां है । अतः अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । न्यायालाय के अनुसार सरदारासिंह का दिनांक 8.8.08 को देहान्त हो जाने पर रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पक्ष में की गयी बन्द वसीयत दिनांक 5–7–96 एवम् अपीलान्टा के पक्ष में की गयी बन्द वसीयत दिनांक 17.8.04 को जिला पंजियक श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 26.8.08 को एक ही दिवस में खोली जाकर तस्दीक की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत दिनांक 17.8.04 अन्तिम वसीयत है, जबकि उक्त वसीयत में पूर्व में की गयी वसीयत दिनांक 5.7.96 को निरस्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अलावा सरदारासिंह द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के पक्ष में दिनांक 5.7.96 को वसीयत निष्पादित करने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक 22.4.97 को दस्तावेज पारिवारिक समझौता भी लिखा गया है। प्रकरण में जिला पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 26.8.08 को बन्द वसीयत खोलने के पश्चात अपीलार्थी शीला बाई उर्फ गुरमीतकौर द्वारा उक्त दस्तावेज वसीयत नामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 28.8.2008 को प्रार्थना पत्र मय वसीयत की चित्र प्रति प्रस्तुत की गयी, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उसी दिन प्राप्त की गयी एवम् तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के निमित पत्र कमांक 9101 दिनांक 29.8.08 जारी कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर पारित कराने हेतु आदेश दिया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.8.08 को नामान्तरकरण सं0 339 दर्ज कर प्रस्तुत करने तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 31.8.08 को उक्त वसीयति नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया । प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलान्ट द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा वसीयत की जांच किये बिना इकतरफा तौर पर वसीयति नामान्तरकरण सं0 339 दिनांक 31.8.08 स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा वसीयत की कोई सरसरी जांच नहीं की गयी है, जो कि विधिक भूल है । वसीयत पंजीकृत होने के बावजूद उसका सत्यापन साक्षियों व वसीयत के लेखक की सशपथ गवाही से साबित करना आवश्यक है । इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयति इन्तकाल सं0

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

339 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को मृतक सरदारासिंह के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में रेस्पोन्डेंट द्वारा दिनांक 1.9.08 को उपखण्ड न्यायालय श्रीगगानगर में वाद सं0 155/2008 प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया है, किन्तु उक्त वाद के वर्तमान में विचाराधीन होने के सम्बन्ध कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 47/08 एवं 46/08 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–9–11 यथावत रखते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपीलान्ट की दोनों अपीलें निरस्त की जाती है ।

9. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7–8–2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर